भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 846
दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेज में पदों का सृजन

846. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत 20 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्गों के लिए सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में सृजित नियमित पदों की कुल संख्या कितनी है और उन पर की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है;

(ख) सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर संविदा आधार पर कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या का श्रेणी-वार मेडिकल कॉलेज या संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणियों के लिए सृजित पदों की तुलना में नियमित अथवा ठेका आधार पर कार्यरत सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, संस्था/महाविद्यालय-वार कुल संख्या कितनी है और अवकाश अथवा बिना विराम के कितने महीनों की अवधि के लिए ये कर्मचारी संविदा आधार पर कार्य कर रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से **(ग):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले तीन केंद्रीय सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संकाय पद समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर सृजित किए जाते हैं। ये मेडिकल कॉलेज नामत: डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल से संबद्ध अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस), सफदरजंग अस्पताल से संबद्ध वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) हैं। पदों के सृजन के बाद आरक्षण रोस्टर लागू किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण उप-संवर्ग में संकाय के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 1711 है। इनमें से 1119 पद (अनारक्षित-682, ओबीसी-222, एससी-154, एसटी-61) नियमित आधार पर भरे हुए हैं। 592 पद (अनारक्षित-253, ओबीसी-215, एससी-80, एसटी-44) रिक्त हैं। वर्तमान में, उपर्युक्त तीन केंद्रीय सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 90 संकाय पद (सामान्य-69, ओबीसी-9, एससी-11, एसटी-1) संविदा के आधार पर कार्यरत हैं।

*****